

उत्तराखण्ड शासन  
कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग-1  
संख्या-945 /XIII-1 /2018-03(11)2010  
देहरादून : दिनांक 6 जून, 2018

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 तहत शासन के पत्र संख्या-417(1), दिनांक 05.05.2018 द्वारा कृषि विभाग के समूह 'क' के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 28.05.2018 में लिये गये निर्णय एवं स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में विहित व्यवस्थाओं यथा कार्मिकों की पदस्थापना हेतु बर्गीकरण, सुगम एवं दुर्गम स्थलों का चिन्हांकन, सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण, अनिवार्य स्थानान्तरण के मानक आदि पहलुओं पर स्थानान्तरण समिति द्वारा किये गये विचार-विमर्शोपरान्त कार्मिक विभाग के शासनादेश सं० 140, दिनांक 25 मई, 2018, जिसमें वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत तक सीमित रखी गयी है, के दिशा-निर्देशों के आलोक में निम्नवत स्थानान्तरण किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम/वर्तमान तैनाती स्थान	प्रस्तावित तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	प्रभारी संयुक्त कृषि निदेशक, कुमायूं मण्डल, हल्द्वानी	मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी।	श्री प्रदीप कुमार सिंह अपने सेवा काल में 18 वर्ष 06 माह 25 दिन की अवधि तक सुगम क्षेत्र में कार्यरत रहे। अतः स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के नियम-7 के तहत सुगम से दुर्गम में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता के आधार पर।
2.	श्रीमती ज्योति एस० कुमार	उप कृषि निदेशक (सांख्यिकी) कृषि निदेशालय, देहरादून।	मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी।	श्रीमती ज्योति एस० कुमार अपने सेवा काल में 18 वर्ष 04 माह 14 दिन की अवधि तक सुगम क्षेत्र में कार्यरत रही। अतः स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के नियम-7 के तहत सुगम से दुर्गम में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता के आधार पर।
3.	श्री देवेन्द्र सिंह	मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल	उप कृषि निदेशक, (तक०सम्प्रे०) कृषि निदेशालय, देहरादून	श्री देवेन्द्र सिंह अपने सेवा काल में 13 वर्ष 07 माह 08 दिन की अवधि तक दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत रहे। अतः स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के नियम-10 के तहत दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता के आधार पर।

2- उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर तत्काल अपनी योगदान आख्या/कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3- उक्त अधिकारियों को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।

(डा० राम बिलास यादव)  
अपर सचिव।

संख्या-945 / XIII(1) / 2018-03(11)2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-निजी सचिव, मा0 मंत्री, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड सरकार को मा0मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

2-कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड।

3-संबंधित जिलाधिकारी।

4-अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँयू मण्डल, हल्द्वानी, नैनीताल।

5-संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

6-संबंधित अधिकारीगण।

7-विभागीय आदेश पुस्तिका निदेशक एन.गार्डवली, सचिवालय देहरादून।

आज्ञा/से,


(राजेन्द्र सिंह)  
संयुक्त सचिव।

## कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- कृ0नि0/ 1504 /स्था0-2/श्रेणी-1/स्थाना0/2018-19/ दिनांक 06.06 2018

प्रतिलिपि:- शासन के कार्यालय-आदेश संख्या-945 / XIII-1/2018-03(11)2010 दिनांक-06.05.2018 की प्रति निम्न को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सम्बन्धित अधिकारीगण।
02. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
03. वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
04. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी/उत्तरकाशी।
05. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँयू मण्डल, हल्द्वानी।
06. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
07. संयुक्त सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
08. गार्ड पत्रावली।

  
अपर कृषि निदेशक, (मु0)  
कृते कृषि निदेशक,  
उत्तराखण्ड।